प्रेस विज्ञप्ति
05/03/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने शाहजहां शेख और अन्य के खिलाफ चल रही जांच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से 12.78 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता अधिनियम, 1860, शस्त्र अधिनियम, 1959, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 और पश्चिम बंगाल राज्य राजमार्गों के अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत, जिसमें चोट की धमकी देना, हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, आम जनता की जमीन हड़पना आदि जैसे जघन्य अपराध शामिल हैं, शाहजहाँ शेख और अन्य के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

पीएमएलए, 2002 के तहत ईडी की जांच से पता चला कि उपरोक्त एफआईआर में उल्लिखित अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों द्वारा शाहजहाँ शेख द्वारा अर्जित अपराध की आय को विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के रूप में शाहजहाँ शेख द्वारा रखा, प्राप्त किया, रूपांतरित किया और छुपाया जा रहा है।

इसके अलावा, ईडी ने अपराध से अर्जित 12.78 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों की कुर्की की है। इन संपत्तियों में ग्राम सरबेरिया, संदेशखली और कोलकाता में अपार्टमेंट, कृषि भूमि, मत्स्य पालन के लिए भूमि, भूमि और भवन आदि की प्रकृति की 14 अचल संपत्तियां शामिल हैं। दो बैंक खाते भी कुर्क किए गए हैं।

आगे की जांच जारी है।